## प्रेस के लिए जानकारी नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 36/2021)

**तत्काल प्रकाशन के लिए**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

**भादूविप्रा ने आज 'विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने' के संबंध में अनुशंसाएँ जारी की हैं।**

**नई दिल्ली, 19 अगस्त 2021** - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने'** पर अनुशंसाएँ जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 20-281/2010-ए एस-खंड XII (भाग) दिनांकित 8 मई 2019 के माध्यम से भादूविप्रा को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (क) की शर्तों के अंतर्गत 'विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने' पर अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिए आग्रह किया।

3. हितधारकों से मुद्दों को प्राप्त करने के लिए और इस प्रकार की लाइसेंस व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए लाइसेंस की शर्तों में आवश्यक परिवर्तनों के लिए "विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने" पर एक पूर्व-परामर्श पत्र 9 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर एक विस्तृत परामर्श पत्र 20 अगस्त 2020 को इस विषय पर जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। 25 हितधारकों से टिप्पणियां और 4 हितधारकों से प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। इसके बाद 3 फरवरी 2021 को एक ऑनलाइन ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ आदानों और स्वयं के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने "विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने' पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य एक्सेस नेटवर्क प्रदाता के लिए एक अलग लाइसेंस अनुमति और वीएनओ के लिए नेटवर्क प्रदाताओं के साथ समझोता करने और उसमे प्रवेश करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करना है। इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से सांझा नेटवर्क संसाधनों में बढोतरी, लागत में कमी, निवेश आकर्षित करने, सर्विस डिलिवरी खण्ड के मजबूत होने की संभावना है और ये अनुशंसाएँ स्थानीय तौर पर इंडस्ट्री 4.0, उद्योग खण्ड और विभिन्न अन्य उपयोगों में 5जी सेवाओं विस्तार के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक साबित भी हो सकती हैं।

5. इन सिफारिसों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

i. एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत प्रदाता को एक अलग अनुमति एक्सेस नेटवर्क (नेटवर्क लेयर) प्रदान किया जाना चाहिए ताकि थोक आधार पर नेटवर्क सेवाएं प्रदान की जा सकें। केवल नेटवर्क लेयर के लिए इस

अनुमति के अंतर्गत एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को सीधे अंतिम उपभोक्ता को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी।

ii. एक्सेस नेटवर्क को स्थापित करना और उसका रखरखाव करना नेटवर्क प्रदाता का कार्यक्षेत्र होगा जिसमें वायरलेस और वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, और खुदरा के उद्देश्य से वीएनओ (सेवा डिलिवरी संचालक) को थोक आधार पर नेटवर्क सेवाएं बेचना (ध्वनि और गैर ध्वनि संदेशों और सूचना को ले जाने की क्षमता) शामिल है। एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को उन सभी सेवाओं का समर्थन करने की क्षमताओं की अनुमति होनी चाहिए जो एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत एक्सेस सेवा अनुमति के कार्यक्षेत्र में उल्लेखित हैं।

iii. एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को अपने नेटवर्क संसाधनों को पारस्परिक रूप से दूरसंचार सेवा प्रदाता को प्रदान करने/ उसके साथ सांझा करने की भी अनुमति होनी चाहिए जिनके पास भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस है।

iv. एक्सेस नेटवर्क प्रदाता के लिए लाइसेंस सेवा क्षेत्र को एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एक्सेस सेवा अनुमति के समान रखना चाहिए।

v. एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एक्सेस सेवा अनुमति में नेटवर्क से संबंधित सभी निर्धारित नियम एवं शर्तों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन सेवा डिलिवरी से संबंधित नियम एवं शर्तें इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए।

vi. एक्सेस अनुमति के साथ एकीकृत लाइसेंस की तरह एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को निलामी स्पेक्ट्रम के माध्यम से निर्धारित स्पेक्ट्रम सीमाओं पर निर्भर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने, स्पेक्ट्रम कारोबार करने और एक्सेस अनुमति के साथ एकीकृत लाइसेंसो और एक्सेस नेटवर्क प्रदाताओं के साथ स्पेक्ट्रम सांझा करने की भी अनुमति होनी चाहिए। इसके पास बैकहॉल स्पेक्ट्रम, नम्बरिंग संसाधनों और इन्टर्कनेक्शन का भी अधिकार होना चाहिए।

vii. एकीकृत लाइसेंस की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। लेकिन यदि एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एक्सेस सेवा के लिए अनुमति प्राप्त लाइसेंसधारी एक अलग नेटवर्क लेयर और सेवा लेयर व्यवस्था में जाना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

viii. नेटवर्क प्रदाता को अंतिम ग्राहक को सेवा प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) रूपरेखा के अंतर्गत एक अलग लाइसेंस को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।

ix. नेटवर्क प्रदाता या एकीकृत लाइसेंसधारी के साथ अनुबंध करने वाले वीएनओ के लिए पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक व्यापक ढांचा निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें आवेदन करने, आवेदन को प्रोसेस करने और निर्धारित समय सीमा इत्यादि के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया शामिल हो । इस रूपरेखा थोक बिक्री क्षमता/ नेटवर्क संसाधनों के लिए विस्तृत प्रस्ताव आवेदन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, एकीकृत लाइसेंसधारी (एक्सेस नेटवर्क प्रदाता सहित) के द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति की प्रक्रिया, समयसीमा इत्यादि शामिल होनी चाहिए। इस रूपरेखा में निम्न शामिल प्रमुख तत्वों होने चाहिएः

क. यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न वीएनओ के लिए नियम एवं शर्तें उचित, पारदर्शी, और भेदभाव रहित हैं, एकीकृत लाइसेंसधारी संदर्भ पेशकशों (वाणिज्यिक सहित) को अपनी वेबसाइटों पर घोषित करेंगे।

ख. एकीकृत लाइसेंसधारी, पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से, स्वयं के स्वामित्व वाले/प्रवर्तित वीएनओ सहित विभिन्न वीएनओ को थोक बिक्री सेवाएं प्रदान करेगा।

ग. वीएनओ से आवेदन दाखिल करने और उनको प्रोसेस करने के लिए, एकीकृत लाइसेंसधारियों को एक वेब- आधारित ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करना चाहिए। भौतिक रूप से आवेदन का आदान-प्रदान, दस्तावेजों की पुष्टि, आदि की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

घ. सेवा डिलिवरी संचालक अर्थात वीएनओ, विस्तृत प्रस्ताव के साथ संबंधित एकीकृत लाइसेंसधारी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आग्रह करेगा। आवेदनकर्ता ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने की पावती ई-मेल आईडी पर भेजेगा और डिजिटल तिथि और समय की मुहर के साथ एक प्रति को पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा।

ड़. लाइसेंसधारी ऑनलाइन, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव की व्यवहार्यता की स्थिति को 30 दिन के अंदर आवेदनकर्ता पक्ष को सांझा करेगा और स्पष्ट रूप से प्रस्ताव की स्वीकृति/ अस्वीकृति (अस्वीकृति के मामले में कारण सहित) के बारे में जनाकारी प्रदान करेगा। यदि एकीकृत लाइसेंसधारी के द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना वांछित है तो आवेदनकर्ता से यह सूचना आवेदन करने के 15 दिन के अंदर मांगी जानी चाहिए और इस मामले में 30 दिन का समय आवेदनकर्ता द्वारा अतिरिक्त सूचना के प्रदान करने की तिथि से शुरू होगा।

च. एकीकृत लाइसेंसधारी से निर्धारित रूपरेखा की अनुपालना को प्रमाणित करते हुए एक वार्षिक स्वयं-प्रमाणित प्रमाणपत्र दाखिल करने के लिए कहा जाना चाहिए।

छ. सेवा डिलिवरी के लिए एक अनुबंध होने के बाद यह यूएल-वीएनओ लाइसेंसधारी और एकीकृत लाइसेंसधारी की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि वे अनुबंध की एक डिजिटल प्रति और बाद में उसमें किए गए संशोधनों की प्रति, यदि कोई है, लाइसेंसर तथा भादूविप्रा को अनुबंध पर हस्ताक्षर होने या उसके संशोधन की तिथि के बाद 15 दिन के अंदर ऑनलाइन माध्यम से भेजें।

x. एक्सेस नेटवर्क प्रदाता अनुमति के लिए लागू लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क उसी के समान होने चाहिए जो एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एक्सेस सेवा अनुमति पर लागू होते हैं।

xi. एक्सेस नेटवर्क प्रदाता और यूएल-वीएनओ (एक्सेस सेवा) का संयुक्त कार्यक्षेत्र यूएल के अंत र्गत एक्सेस सेवा अनुमति प्राप्त लाइसेंसधारी के कार्यक्षेत्र के समान है, इसलिए प्रस्तावित एक्सेस नेटवर्क प्रदाता अनुमति के लिए न्यूनतम इक्विटी, न्यूनतम शुद्ध सम्पत्ति, प्रवेश शुल्क और एफबीजी/पीबीजी आवश्यकताओं का

निर्धारण यूएल-एक्सेस सेवा अनुमति के लिए निर्धारित राशि में से यूएल (वीएलओ-एक्सेस सेवा) के लिए निर्धारित राशि को घटा कर किया जा सकता है।

6. "विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने" पर ये अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर प्रदर्शित की गई हैं।

7. स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए, यदि कोई है, श्री एस.टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से ईमेलः advmn@trai.gov.in पर या टेलीफोन नम्बर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

हा/-

(वी रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा